

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-10/आ.रा.स्था.-01/2011/- 35 दिनांक-21/3/17... बिहार राज्य आवास बोर्ड, अधिनियम, 1982 की धारा-4(ज) में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नलिखित चार व्यक्तियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से बिहार राज्य आवास बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य नामित किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	संस्थानों के नाम
1	श्री विष्णु कुमार चौधरी	अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, बिहार एवं झारखण्ड।
2	कामिनी सिन्हा	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्राधैगिक संस्थान (NIT), पटना।
3	डॉ० सुनीता लाल	व्याख्यता, एस०एम०डी० कॉलेज, पुनपुन।
4	डॉ० राकेश तिवारी	सहायक प्राध्यापक, ए०एन० सिन्हा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना।

2. बिहार राज्य आवास बोर्ड, अधिनियम 1982 की धारा-6 के आलोक में उपरोक्त सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(भरत झा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

-सह-संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-10/आ.रा.स्था.-01/2011/- 203 /न०वि०एवं आ०वि०,पटना, दिनांक-21/3/17
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री विष्णु कुमार चौधरी, अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, बिहार एवं झारखण्ड/कामिनी सिन्हा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्राधैगिक संस्थान (NIT), पटना/डॉ० सुनीता लाल, व्याख्यता, एस०एम०डी० कॉलेज, पुनपुन/ डॉ० राजेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक, ए०एन० सिन्हा इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री अमितेश कुमार, आई०टी०प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

-सह-संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।